न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 12/2019

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी चौहटन मुख्यावास बाड़मेर		रूपाराम पुत्र मंगलाराम प्रजापत, मैसर्स माजीसा नाश्ता हाउस, ग्राम जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.11.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 02.11.2018 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी चौहटन मुख्यावास बाड़मेर ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स माजीसा नाश्ता हाउस के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री रूपाराम उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में नाश्ता, पकौडी, समोसा बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	584680–जे	एचपीसीएल	27.900 किग्रा	15.900 किग्रा	12.000 किग्रा

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स बालोतरा गैस सर्विस बालोतरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के घरेलु उपभोग का गैस सिलेण्डर उसका रिश्तेदार ने कुछ दिन उपयोग लेने के बाद आधा भरा हुआ वापिस अप्रार्थी के घर नहीं पहुंचा कर उसकी दुकान पर पहुंचा दिया ताकि अप्रार्थी शाम को घर जाते वक्त अपने घर ले जावें। इस दरम्यान प्रार्थी की टीम जांच हेतु अप्रार्थी की दुकान पर पहुंची तथा गैस सिलेण्डर को गलत रूप से व्यवसायिक उपयोग में लेना बताकर विधि विरूद्ध जब्त कर लिया गया, जबकि वास्तव में अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं तथा अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर किसी प्रकार के घरेलु गैस सिलैण्डर का उपयोग नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी का उक्त परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्रतीत नही होता हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा रूबरू मौतबिरान अप्रार्थी के द्वारा घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते पाये जाने पर जब्त किया हैं तथा फर्द जब्ती तैयार कर अप्रार्थी एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इसके अलावा यदि अप्रार्थी के जवाब पर भी यदि विश्वास किया जावें तो वह भी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा अपने घरेलु गैस सिलेण्डर का अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति को उपयोग में लेने हेतु प्रदाय करना उक्त आदेश का उल्लंघन होने से भी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जब्त योग्य था। इस प्रकार अप्रार्थी का जवाब एवं प्रतिवाद उचित प्रतिरक्षण योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 18:03:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: